The Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 2013

Act 5 of 2013

Keyword(s):
Central Act Amendment, Property

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख 1935 (श0)

(सं0 पटना 332) पटना, शुक्रवार, 3 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 मई 2013

सं0 एल0जी0-1-5/2013/लेज: 74—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 27 अप्रील, 2013** को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013

[बिहार अधिनियम 5, 2013]

बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–47–क की उप–धारा (1) का प्रतिस्थापन।** – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–47–क की उप–धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः –

   "(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पत्ति का वर्गीकरण या/और सम्पत्ति में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पत्ति का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी है वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समाहर्त्ता को प्रेषित करेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

3 मई 2013

सं0 एल0जी0–1–5/2013/लेजः 75––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा **दिनांक 27 अप्रील, 2013** को अनुमत **भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

THE INDIAN STAMP (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2013

[Bihar Act 5, 2013]

An

ACT

TO AMEND THE INDIAN STAMP ACT, 1899

IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows: ---

1. **Short title, extent and commencement**:—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once,

2. **Substitution in sub-section (1) of Section-47-A of The Indian Stamp Act 1899**. - Section-47-A(1) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended from time to time) shall be substituted by the following: --

" (1) Where the registering officers appointed under the Registration Act, 1908 while registering any instrument of conveyance, exchange, gift, partition or settlement is satisfied that the classification of the property and/or the measurement of the structure contained in the property which is subject matter of such instrument has been set forth wrongly or the market value of the property, which is subject matter of such instrument has been set forth at a lower rate than the Guideline Register of Estimated Minimum Value prepared under the rules framed under the provision of this Act, he shall refer such instrument before registering it to the Collector for determination of the proper market value of such property and the proper duty payable thereon."

By order of the Governor of Bihar,

VINOD KUMAR SINHA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 332-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in